न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी —श्रीमती पुष्पा हरवानी, आरएएस

प्रकरण संख्या 64 / 2016

दायर दिनांक 09.06.2016

निर्णय दिनांक 03.05.2017

श्री मणीलाल पिता नानजी जोगी निवासी गामडी पाल तहसील व जिला डूँगरपुर

———वादी

बनाम

1— श्री दिनेश पिता जीवा गमेती निवासी पालगामडी तहसील व जिला डूँगरपुर।

2— श्रीमति सुशीला पत्नि जीवा गमेती निवासी पालगामडी तहसील व जिला डूँगरपुर।

3— श्रीमति लाली पत्नि जगमाल गमेती निवासी पालगामडी तहसील व जिला डूगरपुर।

4— श्री राजु पिता जगमाल गमेती निवासी पालगामडी तहसील व जिला डूँगरपुर

—प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने दिनांक 02.06.2016 को वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठीत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी की कब्जे काश्त की जमीन पर जो मौजा पालगामडी के खाता संख्या 400 / 384 खसरा नंबर 3050 / 1963 रकबा 6 बीघा को जबरन कब्जा करने की नियत से अतिक्रमण कर रहे हैं तथा वादी से मारपीट करने पर उतारू हैं। जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण को नोटिस तामील हो जाने के बावजुद भी नियत पेशी तारीख को उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की आदेश दिये गये।

वकील वादी की और से श्री मणीलाल का शपथ प्रस्तुत किया गया एवं जमाबन्दी प्रदर्श—1 नक्षा ट्रेस प्रदर्श—2 एवं खसरा गिरदावरी प्रदर्श—3 मार्क किये गये। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के वकील का कथन हैं कि मौजा पालगामडी की आराजी संख्या 3050 / 1963 का रकबा 6 बीघा वादी श्री मणीलाल के खातेदारी में दर्ज हैं तथा वादी इस पर काश्त काबिज हैं। प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने के इरादे से मौके पर अतिक्रमण करने की धमकीया देते हैं तथा उनका ईरादा वादी को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि जबरन काबिज हो जाना हैं। वादी का वाद प्रमाणित होने से प्रतिवादीगणो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य, नोकर आदि किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे एवं वादी को काश्त कब्जे से बेदखल नही करे।

वकील वादी कथनो पर मनन करते हुऐ पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज हो काश्त काबिज हैं जिससे वह प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

अतः वादी वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम पालगामडी के खसरा नंबर 3050 / 1963 रकबा 6 बीघा में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके परिवार के सदस्य अथवाप अन्य सहयोगी न तो अतिक्रमण करे न ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे हकुक वादी को किसी प्रकार का नुकसांन पहुँच। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

डूँगरपुर